न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस

मुकदमा संख्या :– 245/2017

अनुवान मुकदमा –

इन्द्रजीत पुत्र श्री रामप्रताप जाति बि नोई साकिन वार्ड न. 09 बिलाचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ । **वादी–**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

प्रतिवादी–

दिनांक 08.11.2017

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

वाद पत्र वादी सक्षेंप में इस प्रकार से है कि वादी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृशी भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 1 एलकेएस के खाता सं. 2 के प. नं. 34/280(31) के कि. नं. 18 ता 24 कुल 1.771 हैक. नहरी म.गै.मु. कृशी भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । तथा वादी के नाम वर्णित कृशी भूमि वादी को अपने पिता श्री रामप्रताप के जरिये वसीयत प्राप्त भाुद्वा है। वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में वादी के घरेलू नाम इन्द्रचन्द के नाम से उक्त रकबा की वसीयत तहरीर व तस्दीक करवाई इसलिए वादी के पिता श्री रामप्रताप के देहान्त के प चात मुताबिक वसीयत राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज हुआ। वादी के परिवार में इन्द्रचन्द नाम का अन्य कोई भी सदस्य नहीं है। अर्थात इन्द्रचन्द व इन्द्रजीत एक ही व्यकित यानी वादी ही है। वादी का सही एंव वास्तविक नाम इन्द्रजीत है एंव वादी के मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामा ाह कार्ड, रा ान कार्ड में वादी का नाम इन्दजीत ही दर्ज है। चित्रप्रति दस्तावेज नाम संबधी संलग्न वाद पत्र है। तथा वर्णित कृशी भूमि पर बिना किसी विवाद के चला आ रहा है। लेकिन वादी का नाम राजस्व रिकार्ड एंव पहचान संबधी दस्तावेज मे अलग अलग दर्ज होने से वादी को कृशी विकास हेतू ऋण लेने, भूमि संबधी राजकिय अनुदान लेने में काफी परे ाानी होती है। तथा वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पडता है। इसलिए वादी वाद पत्र में वर्णित कृशी भूमि में इन्दजीत नाम दुरूस्त करवाकर सं ाोधित नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। तथा वादी के नाम से अन्य चको की कृशी भूमि में अपना नाम सही करवाने ा एक वाद पत्र न्यायालय में अनवानी इन्द्रजीत बनाम राजस्थान बनाम राजस्थान सरकार प्र. सं. 177/2016 पे ा किया था जो कि न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2017 को निर्णय कर डिक्री पारीत कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दी । वाद पत्र में उक्त वर्णित चक का रकबा सहवन भूल से रह गया था चित्रप्रति निर्णय दिनांक 07.03. 2017 सलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र प्रस्तुत कर वर्णित कृशी भूमि के राजस्व रिकार्ड में इन्द्रचन्द का नाम दुरूस्त कर इन्द्रजीत कर करने हेतु निवेदन किया

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत कर राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया बहस पक्षकारान सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर प्रार्थी का नाम इन्द्रजीत है। जबकी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्रचन्द दर्ज है। अतः वाद वादी साबित है अतः स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त भूमि चक । एल. के एस. के खाता सं. 2 के प. नं. 34/280(31) के कि. नं. 18 ता 24 कुल 1.771 हैक. नहरी मय गै.मु. भूमि में वादी का नाम इन्द्रचन्द के स्थान पर इन्द्रजीत दर्ज किये जाने के आदे । दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो निर्णय सूनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

पीलीबंगा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official